रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-277009
SG-DL-E-09102026-277009

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 238
No. 295] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948 [N. C. T. D. No. 238

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

एस.ओ. डीओपी-ई/4/2026/ई-353955/6764.— जबकि, विश्वसनीय पहचान साबित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है और प्रक्रियाओं को सरल बनाता हैं तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा दिल्ली वितरण लाइसेंसधारियों अर्थात् बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) तथा मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्रों में विद्युत सब्सिडी योजना का संचालन किया जा रहा है;

और जबकि, उक्त योजना के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी दी जाती है;

और जबकि, उक्त योजना के लिए व्यय दिल्ली की संचित निधि से किया जाता है;

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लाभार्थी की विश्वसनीय पहचान साबित करने के उद्देश्य से उक्त लाभ की प्राप्ति की शर्त के रूप में यह उचित समझती है कि ऐसे लाभार्थी को वास्तविक आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (तत्पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि उक्त योजना के अंतर्गत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को वेब-पोर्टल पर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्णित किसी अन्य माध्यम से आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा;

बशर्ते कि, यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो वह व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा 14 अंकों के नामांकन आईडी संख्या के साथ विद्युत सब्सिडी का लाभ उठाने के उद्देश्य से अपने विवरण प्रस्तुत कर सकता है;

आगे यह भी उपबंधित है कि ऊर्जा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त योजना के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

संजीव मैंदिरत्ता, उप लेखा नियंत्रक (ऊर्जा विभाग)

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2026

S.O. DOP-E/4/2026/E-353955/6764.— Whereas the use of Aadhaar number to establish foolproof identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Department of Power in the Government of NCT of Delhi is administering the electricity subsidy scheme through Delhi Distribution Licensees, namely BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL), New Delhi Municipal Council (NDMC) and Military Engineer Services (MES) in their respective areas;

And whereas subsidy is given to the electricity consumers under the said scheme by the distribution licensees as per the extant scheme guidelines;

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of Delhi;

UNCOMPLYCAT Simplifying Compliance

And whereas the Government of National Capital Territory of Delhi deems it fit that for the purpose of establishing the foolproof identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, such beneficiary furnishes proof of possession of a bonafide Aadhaar number or undergo authentication,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby notifies that an individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall furnish proof of possession of Aadhaar number on the web-portal or any other mode as may be decided by Government of National Capital Territory of Delhi;

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual may submit an application for enrolment of Aadhaar and submit his details for the purpose of availing electricity subsidy with the 14-digit Enrolment ID number;

Provided further that the Department of Power through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

2. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV MENDIRATTA, Dy. Controller of Accounts, Department of Power

UNCOMPLYCAT
Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA